माहे मुहर्रम और आशुरह के अहम मसाइल

मुल्लिफ
मुफ़्ती इमरान मेमन

माहे मुहर्रम और आशुरह के अहम मसाइल

:मुल्लिफ:

मुफ़्ती इमरान मेमन साहब

म्सअला - म्ज़्मून

म्सअला नंबर		पेज नंबर
	पेश लफ्ज	३
	४ महीने जिन में नेकी और गुनाह का हुक्म और चाँद की तारिख की अहमियत	४
१	मुहर्रम का बयान रखने और सुनने का हुक्म	६
२	जब भी इस्लामी नया साल में क्या करे	८
३	पेहली मुहर्रम को ११३ बार बिस्मिल्लाह(بسم الله الرحمن الرحيم) लिखना।	१०
४	मुहर्रम में ताजिया बनाने की हकीकत	११
५	मुहर्रम के रोज़ों का हुक्म।	१५
६	मुहर्रम के रोज़ों का हुक्म।	१६
७	मुहर्रम के महीने क्या करे क्या नहीं	१८
८	काला लिबास।	२०
९	मुहर्रम का शरबत और पानी की परब।	२१
१०	आशूरह की छुट्टी (हॉलिडे) का हुक्म।	२२
११	मुहर्रम की नवमी और दसवी के रोज़ह की बे इन्तिहा फ़ज़ीलत।	२३
१२	आशुरह के रोज़ह की फ़ज़ीलत, एक रोज़ह रखने और बगैर सहरी के रोज़ह का हुकम	२५
१३	आशूरह के रोज़े में क़ज़ा की निय्यत का हुक्म।	२७
१४	आशूरह के दिन क्या करे ?	२८
१५	१० मुहर्रम में वो बातें जो गलत है	२९
१६	मुहर्रम में खिचड़ा ही पकाना, उसमे चंदा देना और उसके खाने का हुक्म।	३१
१७	खिचड़ाका चंदा और कोई खिचड़ा भेजे तो ?	३४
१८	आशूरह में खर्च में अच्छा खाना और रोज़ा रखने में टकराव।	३६

पेश लफ्ज़

अल्हमदुलिल्लाह मसाइल का सिलसिला "आज का सवाल " के उनवान से ८ आठ साल से जारी है इस में तेहवार,हालत और मव्के की मुनासिबत से भी मसाइल आते रहते है।और थोड़ा थोड़ा कर के एक ही मवजू पर बहोत से मसाइल को अल्लाह ने जमा करा दिया बाज दोस्तों ने खाहिश की के इन मसाइल को पी.डी.एफ. की शकल में जमा कर के शोशयल मीडिया पर आम कर दिया जाए ताके लोगों का फायदा उठाना और फाइदा पहुंचाना आसान हो जाए । लिहाजा अल्लाह पर तवक्कुल कर के ये काम शुरू कर दिया गया है।

दुआ फरमाए अल्लाह तआला इस सिलसिले को मुकम्मल फरमाए और बंदे और बंदे वालीदैन असातीजाह,खुसूसन बंदे के पिरो मुर्शीद हजरत मुफ्ती अहमद खान पूरी दामत बरकातुहुम ये खिदमात उन की तवज्जुह और दुआ का नतीजा है।(अल्लाह उन के साए को हम पर और उम्मत पर आफियत के साथ ता देर काईम रखे) और तरजमे में तावून करने वाले मेरे दोस्तों के हक में सदह ए जारिया और नजात का जरिया बनाए।किसी को ये रिसाला छापना हो तो ना चीज की तरफ से इजाज़त हैं।

अखीर में नाजीरीन से दरखास्त है के उस में कोई गलती मालुम हो या कोई मुफीद मशवरा तो बंदे मूततले करे जजाकल्लाह।

:: अहकर ::
इमरान इस्माइल मेमन
३० मुहर्रम १४४३ हिजरी
३० जुलाई २०२२

➢ ४ महीने जिन में नेकी और गुनाह का हुक्म और चाँद की तारिख की अहमियत।

क़ुरान मजिद का पैगाम

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ ۚ

तर्जुमा :-

बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक १२ महीने है अल्लाह के हुक्म में (ये गिनती आजकल की नहीं है बल्कि) जिस दिन आसमानो ज़मीन को पैदा किया था उसमें से ४ महीने अदब के हैं और यही सहीह हिसाब है और तुम इन महीनों के सिलसिले में (मुश्रिकीन अरब की तरह महीनों को आगे पीछे कर के या महीनो के नाम बदलकर या इस में गुनाह कर के) अपने आप पर ज़ियादती मत करो।

तफ़्सीर :-

वह ४ महीने ज़िल्का'दह, ज़ुल हिज्जह, मुहर्रम और रजब है इन में इबादत करने का सवाब और गुनाह की नहूसत दूसरे महीनो के मुक़ाबले में ज़्यादा है अहकामुल क़ुरान में है के जो इन ४ महीनो में इबादत का और गुनाह से बचने का ऐहतमाम करेगा तो बाक़ी ८ महिनों में ये चीज़ उस के लिए आसान हो जाएगी। और अपनी इबादत, मुआमलात, शादि,मंगनी वगैरह मवके पर इस्लामी महीनो ,

तारिख का इस्तिमाल करना चाहिए इन तारीख़ों का याद रखना और इस्तेमाल करना मुस्लमानों पर फर्ज़े किफायह है ।

लिहाजा इन इस्लामी महीनों के नाम हम भी याद करे और अपने बच्चों भी याद कराए

अगर सब ही शम्शी (ईस्वी) वगैरह गैर इस्लामी तारिख इस्तेमाल करे और चाँद की तारिख किसीको भी पता नहीं होगा तो सब गुनेहगार होंगे ।

सुरह ए तौबा - आयात - ३६

मारीफुल कुरान शफीई व कांधलवी से माखूज

➢ मुहर्रम का बयान रखने और सुनने का हुक्म

म्सअला नंबर : १

- हमारे यहाँ बहुत सी जगहो पर मुहर्रम के महीने में उलमा-ए-देवबन्द के भी बयान होते है, तो हम क्या करे ?

जवाब

حامدومصلیاومسلما

रबी-उल-अव्वल में १२ दिन और मुहर्रम के १० दिन मिलाद खानी को लाजिम कर लेना दुरुस्त नहीं, और क़याम करना तो बहर हाल बे-असल है। अगर इन अय्याम में मज्लिस मुनअक़िद करना मुफ़ीद हो तो मौलूद खानी के बजाये मोअतबर उलेमा से वाअज़ कराया जाये जो तौहीदो सुन्नत का दर्स दे।

(हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद किफ़ायतुल्लाह देहल्वी रहमतुल्लाहीअलयह "मौलूद मुरव्वजा" का हुक्म)

हमारे उलेमा ने इस महीने में कुछ शराइत के साथ बयानात की गुंजाईश दी है,

मसलान सिर्फ दसवी मुहर्रम को न हो, शियों की तरह सिर्फ ज़िक्र ए शूहदा, हर किसम की सहीह गलत रिवायात के ज़रिये न हो, तारीख के एहतेमाम के साथ मसलन १ ही से शुरू और १० तक लाज़िमन करे ऐसा न हो, बल्के माहे मुहर्रम में लोगो के इज्तिमा का फ़ायदा उठाते हुवे बगैर तायीन-ए- तारीख अय्याम के और सहीह रिआयत की रौशनी में ज़िक्र-ए-शहादत के अलावह इस्लाही मज़ामीन पर बयानात किये जाए, ताके अवाम गलत लोगो के पास बेठने और खुराफ़ात में पडने के बजाये सहीह जगह बैठे और खुराफ़ात से भी बचे रहे।

मरगुबुल फ़तावा

कताबुंनवाज़िल १/५१२ से मअख़ूज़

واللہ اعلم بالصواب

➢ जब भी इस्लामी नया साल में क्या करे

म्सअला नंबर : २

- आज से इस्लामी नया साल १४४४ शुरू हो गया है। नए साल की ख़ुशी में हमें क्या करना चाहिए ?
- कया एक दूसरे को मुबारकबादी और दुआ दे सकते है?

जवाब

حامدو مصليا و مسلما

इस्लाम एक सादगी वाला दीन है, उस में ग़ैर क़ौम की नक़्क़ाली हो ऐसी बातों से एहतियात करने की तालीम है। और दिन मानाने की रस्म न होना ये उस का मिज़ाज है।

इसीलिये हिज़री तारीख की शुरूआत हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के दौर से शुरू होने के बावजूद हज़रत उस्मान, हज़रत अली वग़ैरह सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम से इस बारे में कोई खास अमल साबित नहीं।

➢ अल्बत्ताह एक दुआ पढना साबित है,

उस दिन दुआ पढ़ लेना चाहिए। वह दुआ ये है

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَ رِضْوَانٍ مِّنَ الرَّحْمَانِ وَجِوَارٍ مِنَ الشَّيْطَانِ۔

अल्लाहुम्मा अद्खिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमान, वस् सलामति वल इस्लाम, व रिज़वानीम मीनररहमान, व जिवारिम मिनश्शैतान।

- अल मुअजमाऊल अवसात)

और एक दूसरे को दुआ देना और नयी चीज़ की मुबारकबादी देने में भी कोई हरज नहीं, जाइज़ है, मुबारकबादी देना भी बरक़त की दुआ ही है, लेकिन सुन्नत से साबित नहि।

उस के लिए कोई खास अलफ़ाज़ भी साबित नहीं।

लिहाज़ा ग़ैरों की मुशाबेहत न हो इसलिए न इस में ख़ुशी मनाई जाए, न पार्टी दी जाए, ना रौशनी की जाये।

ईसी तरह अलफ़ाज़ को खास किये बगैर मुबारकबादी भी दे सकते है, और दुआ माँगना और देना हर अचछे मोके पर ये इस्लाम में पसन्दीदाह है।

- अल मुवासतुल फिकहिययह १४/१००,
- ऑनलाइन फ़तवा दारुल उलूम देवबन्द से माखूज़ इज़ाफ़ों के साथ

:: तस्दीक ::

१. मुफ़्ती जुनैद इमामो ख़तीब मस्जिदे नूर कोलाबा मुम्बई
२. मुफ़्ती फ़रीद कावी जम्बुसर
३. मौलाना सालीम मेमन गोरगांव

واللہ اعلم بالصواب

➢ पेहली मुहर्रम को ११३ बार बिस्मिल्लाह (بسم اللہ الرحمن الرحیم) लिखना।

म्सअला नंबर : ३

कया ये बात सहीह है के जो शख्स पेहली मुहर्रम को ११३ बार पूरी बिस्मिल्लाहिररहमानिररहीम (بسم اللہ الرحمن الرحیم) लिख कर अपने पास रखेगा वह पूरा साल आफत बला और मुसीबत से महफ़ूज़ रहेगा ?

जवाब

حامدو مصلیا و مسلما

हां, मुफ़्ती ए आज़म हज़रत मुफ्ती मुहम्मद शफ़ीअ साहब रहमतुल्लाही अलय्हि ने जवाहिरूल फ़िक़्ह जिल्द २, सफा १८७ पर ये बात लिखी है, ऐसी चीज़ें बुज़रोगों के तजुर्बात में से होती है, इस को सुन्नत और ज़रूरी समझे बगैर करना चाहो तो कर सकते है, मना नहीं।

ओन लाइन फ़तावा दारुल उलूम देवबन्द नंबर १४४००१२०००२१

واللہ اعلم بالصواب

➢ मुहर्रम में ताजिया बनाने की हकीकत

म्सअला नंबर : ४

- ताजियों की शुरुआत कैसे हुई?

जवाब

حامدومصلیاومسلما

भारत में ताजियादारी का तो यह एक खालिस भारतीय रिवाज है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़
नहीं है।

इसकी शुरुआत बरसों पहले तैमूर लंग बादशाह ने की थी, जिसका ताल्लुक शीआ फिरके से था।

तब से भारत के शीआ - सुन्नी और कुछ हिस्सों में हिन्दू भी ताजियों (इमाम हुसैन की कब्र
की नकल जो इराक के कर्बला नामक जगह पर है)
की रिवाज को मानते या मनाते आ रहे हैं।

भारत में ताजिए के इतिहास और बादशाह तैमूर लंग का गहरा रिश्ता है।

तैमूर बरला वंश का तुर्की सेपहसालार लड़ाकू था और दुनियां फ़तह करना उसका सपना था।

सन् 1336 को समरकंद के करीब केश गांव ट्रांस ऑक्सानिया (अब उज्बेकिस्तान) में जन्मे तैमूर को चंगेज खां के लड़के चुगताई ने तालीम दी।

सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही वह चुगताई तुर्कों का सरदार बन गया।

फारिस, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और रूस के कुछ भागों को जीतते हुए तैमूर भारत (1398) पहुंचा। उसके साथ 98000 फोजी भी भारत आए।

दिल्ली में मेहमूद तुगलक से जंग कर के अपना ठिकाना बनाया और यहीं उसने अपने बादशाह होने का ऐलान किया।

तैमूर लंग तुर्की शब्द है, जिसका अर्थ तैमूर लंगड़ा होता है। वह दाएं हाथ और दाए पांव से माजूर था।

तैमूर लंग शीआ फिर्के से था और मुहर्रम महीने में हर साल इराक जरूर जाता था, लेकिन बीमारी की वजह से एक साल नहीं जा पाया।

वह दिल का मरीज़ था, इसलिए हकीमों,ने उसे सफर के लिए मना किया था।

बादशाह सलामत को खुश करने के लिए दरबारियों ने ऐसा करना चाहा, जिससे तैमूर खुश हो जाए।

उस जमाने के कलाकारों को जमा कर के उन्हें इराक के कर्बला में बने इमाम हुसैन के रोजे (कब्र) का ढांचा बनाने का हुक्म दिया।

कुछ कलाकारों ने बांस की किमचियों की मदद से 'कब्र' या इमाम हुसैन की यादगार का ढांचा तैयार किया। इसे तरह-तरह के फूलों से सजाया गया।

इसी को ताजिया नाम दिया गया। इस ताजिए को पहली बार 801 हिजरी में तैमूर लंग के महल के होल में रखा गया।

तैमूर के ताजिए की धूम बहुत जल्द पूरे देश में मच गई। देशभर से राजे-रजवाड़े और अकीदत मंद हजरात इन ताजियों की जियारत के लिए पहुंचने लगे।

तैमूर लंग को खुश करने के लिए देश की और सुबो में भी इस रिवाज की सख्ती के साथ शुरुआत हो गई।

खासतौर पर दिल्ली के आसपास के जो शीआ फर्क के नवाब थे, उन्होंने तुरंत इस रिवाज पर अमल शुरू कर दिया तब से लेकर आज तक इस अनोखे रिवाज को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा (म्यांमार) में मनाया जा रहा है।

जबकि खुद तैमूर लंग के देश उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान में या शीआ आबादी वाले देश ईरान में ताजियों की परंपरा का कोई तजकिरा नहीं मिलता है।

68 वर्षीय तैमूर अपनी शुरू की गई ताजियों के रिवाज को ज्यादा देख नहीं पाया और जानलेवा बीमारी में मुब्तिला होने की वजह से 1404 में समरकंद लौट गया।

बीमारी के बावजूद उसने चीन जितने की तैयारियां शुरू कीं, लेकिन 19 फरवरी 1405 को ओटरार चिमकेंट के पास (अब शिमकेंट, कजाकिस्तान) में तैमूर का इंतकाल हो गया। लेकिन तैमूर के जाने के बाद भी भारत में यह परंपरा जारी रही।

तुगलक-तैमूर खानदान के बाद मुगलों ने भी इस रिवाज को जारी रखा।

मुगल बादशाह हुमायूं ने सन् नौ हिजरी 962 में बैरम खां से 46 तौला के जमरजद (पन्ना/हरित मणि) का बना ताजिया मंगवाया था।

खुलासा ये है के ताज़िया का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नही है. शिया के अलावा बाज बरेलवी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग भी ताजिया बनाते है बावजूद इस के उन के सब से बड़े आलिम इमाम अहमद रजा के ताज़िए बनाने और उस के देखने को हराम करार दिया है।उस के हराम होने पर किताब "हूरमते ताजिया दारी" किताब भी लिखी लेकिन हमारे भाई बेहनो को इल्म नहीं है और इस वजह से इस काम को सवाब समझ कर करते है उन्हें हक़ीक़त बताना भी हम सब की जिम्मेदारी है।

अल बिदाया वन निहाया।

واللہ اعلم بالصواب

➢ मुहर्रम के रोज़ों का हुक्म।

म्सअला नंबर : ५

- मुहर्रम के महीने के रोज़े की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब

حامدو مصليا و مسلما

हज़रत अबू हुरैरा रदि अल्लाहू अन्हु से रिवायत है के रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : रमजान के बाद सब से अफ़्ज़ल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े है और फ़र्ज़ नमाज के बाद सब से अफ़्ज़ल नमाज़ रात की नमाज़ (तहज्जुद) की नमाज़ है।

सहीह मुस्लिम हदीस नंबर।२७५५

ये फ़ज़ीलत पुरे महीने में कभी भी और जितने चाहे उतने रोज़े रखने से हासिल हो जाएगी।

इन शा'अल्लाह

ईस से मुराद आशूरह- १० मुहर्रम का रोज़ा नहीं उस की फ़ज़ीलत मुस्तक़िल अलग है।

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ" ۔ (الصحيح لمسلم كِتَابٌ: الصِّيَامُ. بَابٌ: فَضْلُ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ)

واللہ اعلم بالصواب

➢ मुहर्रम में शादी।

म्सअला नंबर : ६

मुहर्रम के महीने में शादी करना, रुखसती कर के वलीमा करना, बच्चे की ख़तना करवाना, ख़ुशी का कोई काम करना जाइज़ है ?

जवाब

حامدومصلیاومسلما

जाइज़ है,

शरीअत में उसकी मुमानिअत की कोई दलील नहीं, बल्कि बड़ी शख्सियतों के के शहादत से पूरे साल का कोई महीना खाली नहीं, इस वजह से हर महीने में निकाह से परहेज़ मुमकिन नहीं और शरीअत में किसी के इन्तिक़ाल पर ३ दिन से ज़ाइद सोग मनाना जाइज़ नहीं रखा गया।

सिर्फ बीवी अपने शोहर के इन्तिक़ाल पर ४ महीने १० दिन इद्दत में सोग मनाती है।

लिहाज़ा शादी और वलीमे वगैरह इस दिन में और तमाम आशरा ए मुहर्रम में बिला शुबा जाइज़ है।

इम्दादुल मुफ़्तिययिन जिल्द:१ स:९६

इस माह में निकाह न करने की रस्म को ख़त्म करने किये निकाह करने में ज़्यादा सवाब मिलेंगा। एक रीवायत के मुताबिक़ हज़रत अली रदी अल्लाहु अन्हू और हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाहु अन्हुमा का निकाह मुहर्रम के महीने में हुआ था।

सीरते मुस्तफा में मौलाना मुहम्मद इदरीश कांधलवी रह. लिखते हैं इसी साल यानि सन २ हिजरी में इसमें इख्तलाफ है के महीना कौन सा था, ज़ुलहिज्ज या मुहर्रम या सफर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे छोटी साहब शादी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाहु अन्हुमा की शादी अली रदी अल्लाहु अन्हु से फरमाई।

सीरत ए मुस्तफ़ा जिल्द २ सफा १७१ और बाज़ ने मुहर्रम के महीने में ही निकाह के कॉल को रज़ीह-ज़यादा सहीह क़रार दिया है।

दारुल इफ्ता जमीअतूल उलूमील इस्लामिआ बिनौरी टाउन फ़तवा नंबर १४३९०

واللہ اعلم بالصواب

➢ मुहर्रम के महीने क्या करे क्या नहीं ।

म्सअला नंबर : ७

- मुहर्रम के महीने में क्या करना चाहिए क्या नहीं ?
- मशहूर बिदअतें क्या क्या है?

जवाब

حامدومصلیاومسلما

मुहर्रम के महीने को मातम और सोग का महीना क़रार देना जाइज़ नहीं, हराम है, और मुहर्रम के महीने में शादी वग़ैरा को ना मुबारक और नाजाइज़ समझना सख्त गुनाह और अहल-इ-सुन्नत वल जमात के अक़ीदे के खिलाफ है, इस्लाम ने जिन चीज़ों को हलाल और जाइज़ क़रार दिया हो ऐतेक़ादन या अमलन उनको नाजाइज़ और हराम समझने में इमान का खतराः है.

फतवा रहीमिया ३/१९१.

मुहर्रम को ज़िक्र ए शहादत का बयान करना अगरचे सहीह रिवायतों से हो, या सबील लगा कर शरबत पिलाना या चंदा सबील शरबत में देना या दूध पिलाना ये सब सहीह नहीं है, और रवाफिज़ (शियाओं) से मुशाबेहत (सिमिलरटीज) की वजह से हराम है.

फतावा रशीदिय १३९

ताज़िया साज़ी का नाजाइज़ होना और उसका ख़िलाफ़े दींनो इमान होना अज़हर मिनाश शम्स है, क़ुरान ए मजीद में है

"क्या तुम ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो जिसको तुमने तराशा और बनाया है ?"

ज़ाहिर है के ताज़िया इंसान अपने हाथ से तराश कर बनता है और फिर मन्नत मानी जाती है और उससे मुरादें मांगी जाती हैं, उसके सामने औलाद सेहत की दुआएं की जाती हैं, सजदा किया जाता है उसकी ज़ियारत को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़ियारत समझा जाता है ये सब बातें ईमान की रूह और इस्लाम की तालीम के खिलाफ नहीं ? ये सब बातें बिदअत और न-जाइज़ हैं.

फतावा रहीमिया २/२७५ / फतावा रशीदिया ५७६.

यौम ए आशूर के दिन के मुताल्लिक़ शरीयत ने ख़ास 2 चीज़ें बतलायी हैं:

१ रोज़ा रखना

२ अहल अयाल पर खाने पीने में वुस'त करना.

हदीस शरीफ में है के जिसने आशूरा के दिन अपने बाल बच्चों पर खाने में वुस'त (कुशादगी) की तो अल्लाह ता'अला पूरे साल रोज़ी में इज़ाफ़ा करेंगे, इसके इलावा उस दिन के लिए और कोई हुक्म नहीं है.

फतावा रहीमिया २/३८०. / मसाएल ए शिर्क बिदअत

واللہ اعلم بالصواب

➢ काला लिबास।

म्सअला नंबर : ८

- काला लिबास पहनना कैसा है ?
- ख़ुसूसन मुहर्रम में बाज़ लोग इस को एहतेमाम से पहेनते हैं। इस का क्या हुक्म है ?

जवाब

حامدا ومصلیا ومسلما

काला लिबास पहनना हुज़ूर صلی اللہ علیہ وسلم से और सहाबा رضی اللہ عنہم से साबित है।

इसलिए सियाह लिबास पहेनना बाज़ फुक़्हा ने मुस्तहब क़रार दिया है।

फतावा हिन्दीययह ५/३३०

लेकिन ख़ास तौर से इस ज़माने में शियों का शिआर (ख़ास मज़हबी निशानी) होने की वजह से मुहर्रम के महीने में और जहां शियों का गलबह और ज़ोर हो वहाँ उस से हमेशा बचना ज़रूरी है।

किताबुल फ़तावा ६/९२

अहसनुल फ़तावा ८/६३ से माखूज

واللہ اعلم بالصواب

➢ मुहर्रम का शरबत और पानी की परब।

म्सअला नंबर : ९

- मुहर्रम के दिनों में जो लोग शरबत की सबील-परब लगते हैं वह जाइज़ है या नहीं?
- इस में चंदा देना जाइज़ है या हराम?

जवाब

حامدومصلیاومسلما

शरबत या पानी ही पिलाने की पाबन्दी गलत और गैर साबित है। अगर सर्दी या बारिश का मौसम हो तब भी शरबत ही पिलाया जाये ! (ऐसा मुहल्लाह, स्ट्रीट) हो जिस में हर घर में ठंडा और मटके का पानी मव्जूद है, तो जहां पानी की ज़रूरत नहीं वहाँ भी पानी के मटके ही की सबील लगाने का क्या मक़सद है?)

एक गलत अक़ीदह को भी इस में दखल है वह ये है के हज़रत हुसैन رضی اللہ عنہ के मुताल्लिक़ मशहूर है के पियासे शहीद किये गए,

और यह शरबत और पानी उन के पास पहुंच कर उन की पियास बुझायेगा। इस अक़ीदह की इस्लाह ज़रूरी है।

यह शरबत वहाँ नहीं पहुंचता, न उन को इस शरबत की ज़रूरत है। अल्लाह पाक ने उनके लिए ज़न्नत में आला से'आला (बेहतरीन) न...

واللہ اعلم بالصواب

➢ आशूरह की छुट्टी (हॉलिडे) का हुक्म।

म्सअला नंबर : १०

- आशूरह को मद्रसह और कारोबार बंद रखना चाहिए या चालू ?

जवाब

حامدو مصلیا و مسلما

आशूरह के दिन मद्रसह और कारोबार बंद रखने में कई खराबियां है।

१. शियों की मुशाबहत।

२. शियों की रस्मो रिवाज की तक़वियत व ताईद।

३. उस दिन शिया हज़रात अपने मज़हब के लिए बे पनाह मशक़्क़त और सख्त मेहनत का मुज़हिराह-ज़ाहिर करते हैं उसके बरखिलाफ अहले सुन्नत छुट्टी रखेंगे तो बे हिम्मत कमज़ोरी और आराम का मुजाहिराह-इज़हार होगा।

४. उस दिन बेकार और फ़ारिग होने की वजह से ताज़िये के जुलूस या मातम व मरसिया की मज्लिस में शरीक़ हो कर कई गुनाहों में मुब्तला हो जाएंगे।

अहसनुल फ़तावा १/३९५

والله اعلم بالصواب

➢ मुहर्रम की नवमी और दसवी के रोज़ह की बे इन्तिहा फ़ज़ीलत।

म्सअला नंबर : ११

- वाहट्सएप्प पर एक रिवायात वायरल हुयी है के जिसने मुहर्रम की नवमी, दसवी को रोज़ह रखा उसे १००० हज्ज, १००० उमरा और १००० शहीदों का सवाब मिलेगा और उसके एक साल के गुनाह मुआफ होंगे और दो साल की इबादत का सवाब मिलेगा

- और जो ये दूसरे को भेजेगा उसे ८० साल की इबादत का सवाब मिलेंगा।
- कया यह रिवायात सहीह है?

जवाब

حامدومصلیاومسلما

इतनी बड़ी फ़ज़ीलत तो रमजान के फ़र्ज़ रोज़ह की भी वारिद नहीं हुयी है। हालां के फ़र्ज़ का सवाब नफ़्ल से बहुत ही ज़ियादह होता है।

और दुसरों को सिर्फ भेजने में ८० साल की इबादत का सवाब मिल जायेगा, ऐसा भेजने और बताने का सवाब भी किसी भी इबादत के बारे में मोअतबर रिवायात में वारिद नहीं हुवा है, और यह रिवायात किसी भी सहीह या ज़ईफ़ अहादीस की किताबों में मव्जूद नही।

लिहाज़ा यह रिवायात मव्जूआ (बनावटी) है। इसे आगे भेजने दुसरों को इस की यह फ़ज़ीलत बताना भी जाइज़ नहीं। ऐसा आदमी सख्त गुनेहगार है।

واللہ اعلم بالصواب

➢ आशुरह के रोज़ह की फ़ज़ीलत, एक रोज़ह रखने और बगैर सहरी के रोज़ह का हुकम ।

म्सअला नंबर : १२

- आशुरह के रोज़ह की क्या फ़ज़ीलत है ?
- रोज़ा कोन से दिन रखना है ?
- एक रोज़ह रख सकते हैं ?
- बगैर सहरी का रोज़ह रख सकते हैं ?
- आशुरह के रोज़ह के साथ क़ज़ा की निय्यत करने का क्या हुक्म है ?

जवाब

حامدومصلیاومسلما

आशुरह का रोज़ह रखने से गुज़िश्ता एक साल के सगीरह गुनाह मुआफ हो जाते हैं।

दो रोज़े न रख सकते हो तो एक रोज़ह रखना भी जायज़ है, लेकिन मुनासिब नहीं है।

हज़. मौलाना मंज़ूर नौमानी रह. फरमाते थे के यहूदियों की तारीख का टाइम टेबल अब अलग है, लिहाज़ा अब मुशाबहत, खराबी मेरे ख़याल में बाक़ी नहीं रही।

एक रोज़ह रख सकते हैं लेकिन एक रोज़ह रखना मकरूहे तंज़ीही है लेकिन उस एक रोज़ह का सवाब तो मिलेगा ।

फतावा महमूदियाः जिल्द।१० सफह १९३ दाभेल बा हवाला मारकियूल फ़लाह ६४० व आलमगीरी १/२०२ से माखूज

बगैर सहरी के आशूरह का और नफिल रोज़ह रख सकते है। लेकिन सहरी की सुन्नत छूट जाएगी।

आशुरह के रोज़ह के साथ अगर क़ज़ा की निय्यत करे तो असल तो क़ज़ा रोज़ा ही अदा होगा। आशूरह की फ़ज़ीलत मिलने के बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते है उस दिन रोज़े के एहतमाम की वजह से उम्मीद है के आशुरह की फ़ज़ीलत भी मिल जाएगी।

सूबह सादिक़ के बाद रोज़ह को तोड़नेवाली चीज़ पैश न आयी हो तो ज़वाल से पहले निय्यत कर सकते है।

फ़तवा रहीमिया और किताबुल फतावा

फ़तवा कास्मिया 21/396

واللہ اعلم بالصواب

➢ आशूरह के रोज़े में क़ज़ा की निय्यत का हुक्म।

म्सअला नंबर : १३

- आशूरह के रोज़े में रमजान के क़ज़ा रोज़ों की निय्यत करे तो क़ज़ा और आशूरह का रोज़ा दोनों अदा हो जायेंगे ?

जवाब

حامدومصلیاومسلما

क़ज़ा रोज़े की असल निय्यत करे, और साथ में आशूरह की भी निय्यत करे तो क़ज़ा रोज़ा अदा होने के साथ आशूरह का का सवाब नही मिलेगा।

फ़तावा दारुल उलूम क़दीम ३/४०

अहसनुल फ़तावा ४/३४१

واللہ اعلم بالصواب

➢ आशूरह के दिन क्या करे ?

म्सअला नंबर : १४

जवाब

حامدومصليا ومسلما

हज़रत मौलाना युसूफ मोटाला रहमतुल्लाह से मुलाक़ात हुवी थी,

फ़रमाया : मेरी तरफ से ये बात लोगों को बता दो। :

१. हज़रत शैख़ रह. ने एक मर्तबा आशूरा के दिन मजलिस में सब से पूछा के किस ने हज़रात हुसैन रज़. को कितना सवाब बख्शा ? किसी ने कहा सूरह यासीन, किसी ने कुछ और बताया.

हज़रात शैख़ रह. ने फ़रमाया: में आशूरा के दिन पूरा एक कुरान पढ़ कर हज़रत हुसैन रज़. को बख्शता हूँ.

२. हज़रत शैख़ रह. आशूरा के दिन बहुत से सिक्के (पैसे) मंगवा कर तलबा को और घर के लोगों को तक़सीम फरमाते. के हदीस में इस दिन खुले हाथ से खर्च की फ़ज़ीलत आई हे.

३. उस दिन बाजार में जितने तरह के फ्रूट्स हाज़िर होते हज़रत शैख़ सब मंगवा कर घर के लोगों और मेहमानो को एहतेमाम से खिलाते. इस तरह आप अपने अमल से सुन्नतों को ज़िंदा फरमाते.

अल्लाह मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ दे.

नोट : मालूम हुवा के 'अयाल' सिर्फ अपने बच्चे नहीं बल्कि शागिर्द मुरीद नौकर मेहमान भी है।

मुफ़्ती ताहिर साहब बॉक्स वाला दा.ब.

واللہ اعلم بالصواب

➢ १० मुहर्रम में वो बातें जो गलत है ।

म्सअला नंबर : १५

वो कोनसे आ'माल है जो आशूरह के दिन याने १० मुहर्रम को सुन्नत से साबित नहीं है ?

जवाब

حامدو مصلیا و مسلما

१) ग़ुस्ल करना यानि खास आशूरह के दिन की निय्यत से
२) कपडे बदलना
३) खुशबू लगाना
४) सुरमा लगाना
५) मख़सूस नमाज़ अदा करना
६) मरसिया ख्वानी करना

७) मस्जिद में जमा हो कर नवाफिल पढ़ना

८) मातम करना

९) क़ब्रो पर मिटटी डालना

१०) ता'जिया बनाना

११) नंगे सर रहना

१२) नंगे पैर रहना

१३) काला कपडा पहनना

१४) सर पर खाक डालना

१५) सर को पीटना

१६) बच्चों को क़ैदी फ़क़ीर बनाना

१७) शरबत बनाना

१८) शरबत पिलाना

१९) मख़सूस क़िस्म का खाना बनाना

२०) सिर्फ मुहर्रम ही में सबील लगाना

मा सबत बीस सुन्नह में बरेलवी और देवबंदी उलामा के मुअतामद शाह अब्दुल हक मूहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने इन चीज़ों के फजाईल की तमाम रिवायत को मावजुआ (बनावटी) करार दिया है।

फतावा महमूदियह ३/२७४ और उसके आस पास

واللہ اعلم بالصواب

➢ मुहर्रम में खिचड़ा ही पकाना, उसमे चंदा देना और उसके खाने का हुक्म।

म्सअला नंबर : १६

1 कया फ़रमाते हैं उलेमा ए किराम इस बारे में के मुहर्रम में खिचड़ा ही पकाया जाए ?

खीचड़े के सबूत के तौर पर बयान किया जाता है के नूह علیه السلام की कश्ती आशूरह के दिन जुडी पहाड पर ठहरि तो उन्होंने बतौरे शुकराना खिचड़ा पकाया था इसलिए हम भी पकाते है।

इस रिवायात का क्या हुक्म है?

बरेलवी रज़ाखानी और देवबंद के माने हुवे हवाले से जवाब देने की गुज़ारीश।

2 आशूरह के दिन खिचड़ा पकाने वालों को चंदा देना और चंदा वसूल करना केसा है ?

3 खिचड़ा हम ना पकाये, और कहीं से आ जाये तो ले सकते या नहीं ?

जवाब

حامدو مصلیا و مسلما

हज़रत नूह علیه السلام की कश्ती ने तूफान से नजात पायी और जुडी पहाड़ पर ठहरी, नूह علیه السلام ने बतौरे शुकराना कश्ती में मौजुद ७ क़िस्म के गल्लो (अनाज) का हबूब (खिचड़ा) बनाया।

इस रिवायात को भी देवबंदी व बरेलवी उलमा के सरताज हज़रत मौलाना शाह अब्दुल हक़ महदीसे देहल्वी रहमतुल्लाहि अलय्हि ने मौज़ूअ (बनावटी) क़रार दिया है।

मा सबत बिस सुन्नह १६/६

मौज़ूअ (बनावटी) हदीस की मिसाल देते हुवे फ़रमाते हैं के :

“ क फीस सलाति वल इख्तिहालि, व तबख्खील हुबूबी व ज़ालिक कुल्लहू मवज़ूउन व मुफ़्तरा ”

जैसे नमाज़ की फ़ज़ीलत, सुरमा डालने की और खिचड़ा पकाने की और इसके अलावा तमाम फ़ज़ीलत मौज़ूआ और ईफ्टरा (बोहतान) है,

बरेलवी और उलेमा ए देवबंद की मानी हुयी किताब मा सबत बिस सुन्नह सफ़ा १७

<u>लिहाजा खिचड़ा ही पकाना जरूरी नही।</u>

अहलो अयाल को पसंद हो वह ही पकाना चाहिए। उस दिन अहलो अयाल पर वुस'अट (कुछ ज़ियादह) खर्च करने की फ़ज़ीलत मुफ्त में तक़सीम होने वाले खीचड़े की वजह से ब'अजों की छुत जाती है।

2 इस को सवाब समझ कर बनाना बिदअत और ना जाइज़ है। इस में जानी या माली हिस्सा लेना भी दुरुस्त नही,

मशहुर किताब 'अल बिदयाह वननिहायह' तारिख इतिहास की पाये की अहम् पुरानी किताब है, जिसे बरेलवी उलमा भी मानते है, उस में साफ़ लिखा है के खिचड़ा पकाना, उस दिन ख़ुशी मनाना खार्जियों (अहले बैत-खानदाने नबी सलल्लाहु अलैहिवसल्लम के दुश्मनो) का शिआर -खास तरीका है।

अल बिदयाह वननिहायह ८/२०३

3 अगर घर पर कोई खिचड़ा भेजे तो उसे लेना भी न चाहिये, ता के बिदअत और रस्म पर तम्बीह हो सके, और पकाने वालों की इस्लाह हो।

किफ़ायतुल मुफ्ती १/२२६ /// बहिश्ती ज़ेवर ६/६१

दीनी मसाइल और उन का हल सफा ८५,८६ से माखूज।

हज़रत मुफ्ती सल्मान मन्सूर पूरी दा. ब.की किताब।

واللہ اعلم بالصواب

➢ खिचड़ाका चंदा और कोई खिचड़ा भेजे तो ?

म्सअला नंबर : १७

- आशूरह के दिन खिचड़ा पकाने वालों को चंदा देना और चंदा वसूल करना केसा है ?
- खिचड़ा हम ना पकाये, और कहीं से आ जाये तो ले सकते या नहीं ?

जवाब

حامدو مصليا و مسلما

हबूब यानी नूह علیه السلام के खिचड़ा पकाने की इस रिवायात को रईसुल मुहद्दिसीन बरेलवी और देवबन्दी दोनों हज़रात के बड़े और क़ाबिले एतेमाद शख़्सिय्यत हज़रत शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिसे दहेलवी रहमतुल्लाहि अलय्हि ने मव्ज़ूआ बनवती क़रार दिया है। जेसा के इस से पहले के सवाल में गुज़र चुका।

मा सबत मिनससुन्नाह सफा १६

लिहाज़ा इस को सवाब समझ कर बनाना बिदअत और ना जाइज़ है। इस में जानी या माली हिस्सा लेना भी दुरुस्त नही,

मशहुर किताब 'अल बिदयाह वननिहायह' तारिख इतिहास की पाये की अहम् पुरानी किताब है, जिसे बरेलवी उलमा भी मानते है, उस में साफ़ लिखा है के खिचड़ा पकाना, उस दिन ख़ुशी मनाना खर्जियों (अहले बैत-खानदाने नबी सलल्लाहु अलैहिवसल्लम के दुश्मनो) का शिआर -खास तरीका है।

अल बिदयाह वननिहायह ८/२०३

अगर घर पर कोई खिचड़ा भेजे तो उसे लेना भी न चाहिये, ता के बिदअत और रस्म पर तम्बीह हो सके, और पकाने वालों की इस्लाह हो।

किफ़ायतुल मुफ्ती १/२२६

बहिश्ती ज़ेवर ६/६१

दीनी मसाइल और उन का हल सफा ८५,८६ से माखूज।

हज़रत मुफ्ती सल्मान मन्सूर पूरी दा. ब.की किताब।

واللہ اعلم بالصواب

➢ आशूरह में खर्च में अच्छा खाना और रोज़ा रखने में टकराव।

म्सअला नंबर : १८

- आशूरह के दिन अपने अहलो आयल पर दस्तरख़ान कुशादा करना चाहिए ये रिवायात मोअतबर है ?
- क्यूँ के एक तरफ तो अच्छा खिलाने की तरग़ीब है और दूसरी तरफ सहीह रिवायत से उस दिन रोज़ा रखना साबित है, तो रोज़े में अच्छा खाना कैसे खिलायेंगे ?

जवाब

حامدومصلیاومسلما

इस रिवायात के अलफ़ाज़ ये है।

یوم عاشورہ فی نفقتہ علی عیالہ وسع اللہ سائر سنتہ رواہ طبرانی من وسع

जीस में आशूरह के दिन अपने अयाल (बीवी बच्चो पर खर्च में वुसअत- कुछ ज़्यादा खर्च किया अल्लाह त'आला पुरे साल उस पर वुसअत-बरकत करेगा)

इस रिवायत में कहीं भी दस्तरख़ान का या खाना खिलाने का खास ज़िक्र नहीं है, बल्कि नफ़्क़ा यानि मुतलक़-आम खर्च का ज़िक्र

है, खर्चे में बीवी बच्चों को नक़द पैसे देने, खाना, पीना, कपडे, दवाई वगैरह ज़रूरी तमाम चीज़ें दाखिल है, और इफ्तारी के लिए जितनी भी चीज़ खरीदेंगे उस का खर्च तो दिन ही में हो जायेगा, और अशूरा मग़रिब बाद ही शुरू हो जाता है, तो रात को या सहरी में अच्छा खाना भी खिलाया जाये तो भी रोज़े के साथ कोई टकराव न रहा।

लिहाज़ा जब रोज़ा रखने और वुसअत करने में ततबीक़-जोड़ मुमकिन है फिर भी टकराव को दलील बनाकर रिवायात को बाज़ उलामा का मव्जूआ-मनघडत कहना सहीह नहीं।

हाफिज़ इब्ने हजर सैलानी रह. ने अल्लामा इब्ने जवजी जिन्होंने इस हदीस को मनघडत कहा है तो उन पर रद किया है। और अल्लामा सूयूटी रहमतुल्लाहि अलैहिमा ने इस रिवायत साबित और सहीह क़रार दिया है।

अल्लामा मनावी रह. हज़रत जबीर रदियल्लाहु अन्हु और सुफ़यान इब्ने ऑयेयना वगैरह बुज़रोगों ने इस दिन खर्च करने से पुरे साल की वुसअत का सालो साल तजरबा किया है।

अल्लामा सावी मालिकी ने अपने हाशिए शर हुस सग़ीर में चारों मज़हब के ईमामों का इस दिन अहलो आयाल पर खर्च करने को मुस्तहब होना नकाल किया है।और अल्लामा शामी ने भी इस को मुस्तहब क़रार दिया है।

लिहाज़ा हदीस रोज़े के साथ भी किसी तवील के बगैर क़ाबिले अमल है।

واللہ اعلم بالصواب